वन लेखा (हम क्या करते हैं ?)

(1) निम्नलिखित के संबंध में, अनुभाग को मासिक संकलित लेखा प्राप्त होता है:-

26 - वन विभाग के वन मंडल एवं
20 - मेघालय सरकार के भूमि एवं जल संरक्षण विभाग के मंडल।

(2) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की नियमावली (लेखा एवं हकदारी) खंड -I के अध्याय 8 एवं 9 में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर मिले निर्देशों के अनुसार लेखा एवं संकलित लेखा की जांच की जाती है।

(3) वी.एल.सी के कंप्यूटर प्रणाली में लेखा को संकलित किया जाता है और मासिक वर्गीकृत सार, समेकित सार तैयार किए जाते हैं।

(4) भाग-1, भाग-2 और भाग-3 के अंतर्गत व्यय एवं प्राप्तियों की राशियों को मासिक सिविल लेखों में सम्मिलित किया जाता है।

(5) प्राप्ति अनुसूचियाँ जैसे सामान्य भविष्य निधि , ऋण, आयकर आदि पृथक कर के संबंधित हकदारी अनुभागों को प्रेषित किए जाते हैं।

(6) वाउचर अनुक्रमित किए जाते हैं एवं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय, मेघालय, शिलांग को प्रेषित किया जाता है।

(7) 1. 8782-103-(I) राजकोष में प्रेषण, 2. 8782-103-(II) वन चेक, 3. 8443-109- वन जमा एवं 4. 8550-101- वन अग्रिम हेतु ब्रॉड शीट/ बड़ा चिट्ठा तैयार किए जाते हैं।

(8) नियंत्रण अधिकारियों जैसे (क) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मेघालय सरकार शिलांग एवं (ख) निदेशक, भूमि एवं जल संरक्षण, मेघालय सरकार, शिलांग के साथ प्राप्तियों एवं व्यय का समाधान किया जाता है।